

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक: 1701/14-1

दिनांक, एटा, मार्च 7, 2018

सेवा में,

श्री पी0पी0 सिंह
महाप्रबन्धक सह परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
जी0टी0रोड, सारसौल, अलीगढ़।

विषय एन0एच0 91 के जनपद एटा में 4 लेनीकरण हेतु प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/22374/2016 में क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, अलीगंज लखनऊ द्वारा लगाई गयी 7 बिन्दुओं की क्वेरी के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ 1. कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ की पत्र संख्या 2574/एटा-एन0एच0 91/22374/2017 दिनांकित 06.03.2018
2. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, अलीगंज लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/12/2018/एफ0सी0/186 दिनांक 01.03.2018

उक्त सन्दर्भित पत्र में दर्शायी गयी क्वेरी के निराकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही आपसे अपेक्षित है -

	क्वेरी	अपेक्षित कार्यवाही
1	Three proposals FP/UP/ROAD/24596/2015, FP/UP/ROAD/23288/2015 and FP/UP/ROAD/22374/2016 appears to be part of widening of National Highway 91 and total extent of diversion is more than 100 ha which requires site inspection from Regional Office, MoEF&CC as per guidelines of FCA 1980.	यह कार्यवाही MoEF&CC के अधिकारियों से अपेक्षित है।
2	There exists a rounding off error in totalling extent of village wise forest area at B 2.3 in part I.	पार्ट 1 में उक्त कमी का निराकरण एन0एच0ए0आई0 से अपेक्षित है।
3	As per GIS DSS analysis of proposed forest land for diversion, following issues need rectification : c) The area of proposed forest diversion is 56.52 ha whereas the proposal submitted for 65.495 ha. Either kml file are erroneous or calculation of area is incorrect d) Overlay of kml files of proposed forest land diversion on Google Earth image shows lateral shift.	प्रभागीय निदेशक, एटा तथा एन0एच0ए0आई0 द्वारा संयुक्त कार्यवाही अपेक्षित है। के0एम0एल0 फाइल को यूजर एजेन्सी द्वारा संशोधित किया जायेगा।
4	Benefit Cost analysis of the proposal is not as per latest guidelines of MoEF&CC. This needs revision.	इस कमी का निराकरण एन0एच0ए0आई0 से अपेक्षित है।
5	In land schedule prepared for forest land calculation, one additional column for balance available width of PF after deducting for proposed width for diversion shall be provided.	यूजर एजेन्सी एन0एच0ए0आई0 से अपेक्षित है।
6	As per GIS DSS analysis of proposed compensatory afforestation, following issues need rectification: a) Uploaded kml files for CA at 13(i)-3&4 are not accessible and showing error. b) The extent of CA proposed suitable for plantation is 128 ha only. One 4 ha patch is a water body. An additional patch of extent more than 3 ha is needed to meet the shortfall.	यहां एन0एच0ए0आई0 तथा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद के सहयोग से 3 है0 अतिरिक्त भूमि का चयन किया जाना है तथा उसकी के0एम0एल0 फाइल, जीयो रिफरेंस मैप, टोपोसीट पर अंकन, वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों के अनुरक्षण का प्राक्कलन तथा क्षतिपूर्क वृक्षारोपण से सम्बन्धित वित्तीय खर्च का संशोधित गोश्वारा, तैयार किये जाने के उपरान्त पुनः प्रभागीय निदेशक एटा द्वारा आनलाइन अपलोड की कार्यवाही की जायेगी।
7	Site Inspection Report of DFO mentions translocation of 201 number of Ficus trees. a) A detailed estimate along with suitable location for translocation shall be submitted by the concerned division. b) Undertaking from user agency is needed to fund the proposal. c) State Government shall specifically recommend this additional proposal.	इस सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक आगरा से सहयोग मांगा जा रहा है। क्योंकि आगरा वन प्रभाग में वृक्षों के translocation की कार्यवाही पूर्व में किसी प्रस्ताव में की गयी है।

अतः अनुरोध है कि अपने किसी प्रतिनिधि को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के कार्यालय भेजकर प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ प्रभागीय कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा उपरोक्त क्वेरी के निराकरण में आवश्यक सहयोग किया जाये ताकि कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव पुनः उच्च स्तर को आनलाइन /हार्डकापी के माध्यम से भेजा जा सके।

(ए०के०कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

पत्रांक 170 /14-1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि :-

- 1.वन संरक्षक अलीगढ़ वृत्त अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2.नोडल अधिकारी /मुख्य वन संरक्षक,एफ०सी०एक्ट 1980 उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3.प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद को इस आशय से प्रेषित की उक्त वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 130.99 है० भूमि आपके प्रभाग में चयनित की गयी थी इसके सापेक्ष वर्तमान पत्र की तालिका के बिन्दु संख्या 6 में अंकित क्वेरी का निराकरण करने में एन०एच०ए०आई० के प्रतिनिधि को आवश्यक सहयोग देने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में आपका विशेष ध्यानाकर्षण अपेक्षित है क्योंकि उक्त प्रस्ताव की समीक्षा उच्च स्तर से लगातार की जा रही है तथा भारत सरकार की यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है।

(ए०के०कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

7/